

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वा० सेवायें, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:- संस्था/चिअ/एटी/प०२/१७/

दिनांक:- /०४/२०१७

—:: आदेश ::—

निदेशालय के आदेश क्रमांक संस्था/चिअ/एटी/प.२/१७/९७ दिनांक ३०.०३.२०१७ के द्वारा डॉ० उषा चौहान, वरिष्ठ विशेषज्ञ (गायनी) के आदेश को तुरन्त प्रभाव से प्रत्याहारित (Withdraw) किया जाता है।

फलस्वरूप डॉ० उषा चौहान, वरिष्ठ विशेषज्ञ (गायनी), राजकीय जिला चिकित्सालय सिरोही में पूर्व की भांति यथावत कार्यरत रहेंगी।

६०
निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।
दिनांक:- १३/०४/२०१७

क्रमांक:- संस्था/चिअ/एटी/प०२/१७/१२१

प्रतिलिपी निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय राजस्थान जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्यमंत्री गोपालन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजि सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग (ग्रुप-२), राजस्थान, जयपुर।
5. संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन सम्बन्धित।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी सम्बन्धित।
7. संबंधित चिकित्सक को पालनार्थ।
8. प्रभारी केन्द्रीय सर्वर कक्ष, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को आज ही विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावे।
9. आदेश/निजि पत्रावली।

१३.५५
निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।